FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान गुदड़राम वगैरह **बनाम** गै0सा0 हीरालाल वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद–पत्र नं. 78 / सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.05.15	वादी उपस्थित। वादी ने आज राजस्व लोक अदालत कैम्प–लौटोती में एक वाद–पत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् पेश किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रति0 ने एक 100/– रू0 का शपथ–पत्र पेश किया कि हमने पूर्व में जो बंटवाड़ा किया हैं। पुनः बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं। हमने सहमति से यह शपथ–पत्र पेश किया हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट /जांच वादी ने नहीं पेश की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र / वाद–पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रति0 बंटवाड़ा पुनः करवाने पर सहमत हैं। वस्तुतः मौजा–लौटोती, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 486/1 एवं 527/3 का पूर्व में विभाजन किया गया था। परन्तु अब दोनों खातेदार सहमत होकर खसरा नम्बर 486/1, 486/1206 रकबा क्रमशः 2–07 बीघा, 2–08 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 4–15 बीघा वादी गुदडराम के नाम एवं खसरा नम्बर 527/3 रकबा 3–19 बीघा, खसरा नम्बर 527/6 रकबा 3–18 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 7–17 बीघा में हीरालाल के हिस्से में विभाजन करने पर सहमत हैं। अतः प्रस्तुत वाद–पत्र मय दस्तावेज एवं शपथ–पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। वादी एवं प्रति0 उक्त आराजी का शपथ–पत्र अनुसार पुनः बंटवाड़ा करवाने पर सहमत हैं। लिहाजा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः माफिक राजीनामा वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। सरहद मौजा–लौटोती, तहसील–जैतारण में स्थित वादी एवं प्रति0 की आराजी खसरा नम्बर 486/1 रकबा 2–07 बीघा, खसरा नम्बर 486/1206 रकबा 2–08 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 4–15 बीघा वादी गुदडराम पुत्र बक्ताराम के एवं खसरा नम्बर 527/3 रकबा 3–19 बीघा, खसरा नम्बर 527/6 रकबा 3–18 बीघा, कुल किता–2 कुल रकबा 7–17 बीघा में हीरालाल पुत्र बक्ताराम के हिस्से में बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा की प्रति भेज कर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)	

Scanned by CamScanner